तिरुप्परनकुंड्रम दीपम: सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 144 और अवमानना

PCSMANTRA टीम | करेंट अफेयर्स | 28 नवंबर 2026

क्यों चर्चा में? 27 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने मदुरै की तिरुप्परनकुंड्रम पहाड़ी पर स्थित दीपातून (पत्थर के स्तंभ) पर कार्तिगै दीपम जलाने के अपने 20 नवंबर के आदेश का पालन न होने को "जानबूझकर अवज्ञा" (wilful disobedience) माना और कहा कि यह राज्य तथा मंदिर ट्रस्टियों के बीच "पूर्व-नियोजित साज़िश" से हुआ। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने मंदिर के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ को निलंबित करते हुए दो पूर्व उच्च न्यायालय न्यायाधीशों, मेघालय उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस. वैद्यनाथन और मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश वी. पार्थिबन, को रिसीवर नियुक्त किया और 28 नवंबर को स्तंभ पर दीप जलाने का आदेश दिया।

पृष्ठभूमि

विवाद पहाड़ी के शिखर पर स्वामित्व के दावे से जुड़ा है। अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर पहाड़ी की तलहटी में है, जबकि दीपातून स्तंभ शिखर पर स्थित सिकंदर बादुशा दरगाह से लगभग 50 मीटर की दूरी पर है; दरगाह पक्ष ने शिखर और दीपातून स्थल पर अपना स्वामित्व जताया है। परंपरागत रूप से कार्तिगै दीपम निचली ढलान पर उचिपिल्लैयार मंदिर के पास दीपा मंडपम में जलाया जाता रहा है, और कुछ हिंदू संगठनों ने इसे ऊपर के स्तंभ तक बढ़ाने की माँग की थी। इस स्थल पर दावों और परंपराओं को लेकर असहमति 1915 से चली आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को एक बार के लिए स्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति दी थी, परंतु 25 नवंबर (बुधवार) को दीप पारंपरिक स्थान दीपा मंडपम पर ही जलाया गया, जिसके बाद अवमानना याचिकाओं पर 27 नवंबर को सुनवाई हुई।

मुख्य बिंदु

- **आदेश:** कार्तिगै दीपम 28 नवंबर 2026 (शनिवार) को फिर से जलाया जाएगा, इस बार पत्थर के स्तंभ पर, जैसा 20 नवंबर को आदेश दिया गया था; सुरक्षा केंद्रीय बल प्रदान करेंगे। दीपा मंडपम की ज्योति ले जाई जा सकती है या नई ज्योति जलाई जा सकती है।
- **रिसीवर की भूमिका:** रिसीवर मंदिर के स्तानिकर (परंपरागत पुजारी) के परामर्श से समारोह संपन्न कराएँगे। पीठ ने स्पष्ट किया कि यह अंतरिम आदेश किसी पक्ष को भविष्य में कोई हक़ (equities) नहीं देता और केवल अवमानना याचिकाओं तक सीमित है।
- **दरगाह का हित सुरक्षित:** दरगाह के आसपास 50 मीटर का दायरा घेरा जाएगा, परंतु श्रद्धालुओं की पहुँच और अधिकार प्रभावित नहीं होंगे; आम लोग भी 28 नवंबर को पहाड़ी पर दीप जला सकेंगे।
- **अवमानना नोटिस:** तमिलनाडु के मुख्य सचिव, राज्य के पुलिस महानिदेशक, मदुरै ज़िला कलेक्टर, पुलिस आयुक्त, हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE) आयुक्त व उपायुक्त तथा मंदिर के अध्यक्ष, कार्यकारी अधिकारी और ट्रस्टियों को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है; सभी को 15 दिसंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा।
- **अनुच्छेद 144:** मुख्य सचिव को 10 दिन के भीतर व्यक्तिगत शपथपत्र देकर बताना होगा कि राज्य ने अनुच्छेद 144 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन के संवैधानिक दायित्व में "स्पष्ट उपेक्षा" क्यों दिखाई; राज्य और ज़िला प्रशासन के बीच हुए संवाद (ईमेल, कॉल रिकॉर्ड आदि) का विवरण भी देना होगा।
- **मुख्य मामला:** धार्मिक अधिकारों से जुड़ा मूल मामला जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह में सुना जाएगा; अभी का आदेश अंतिम निर्णय नहीं है। पीठ ने कहा, "कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना भी ऊँचे पद पर हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवज्ञा नहीं कर सकता।"

महत्व और चुनौतियाँ

महत्व: यह मामला अनुच्छेद 144 (सभी अधिकारियों पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन का बंधन) और अवमानना-शक्ति की सीमा तथा दृढ़ता, दोनों दिखाता है। राज्य द्वारा संचालित मंदिर-प्रशासन (HR&CE) की जवाबदेही भी सामने आई है, क्योंकि अदालत ने राज्य का यह दावा स्वीकार नहीं किया कि वह मंदिर समिति के पारंपरिक निर्णयों से अलग रहा। साथ ही, न्यायालय ने अंतरिम व्यवस्था में संतुलन रखा: स्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति, किंतु दरगाह की पहुँच सुरक्षित और 50 मीटर का घेरा। **चुनौतियाँ:** ऐसे मामलों में न्यायिक आदेश का पालन स्थानीय प्रशासन, पुलिस और मंदिर-प्रबंधन के समन्वय पर निर्भर करता है; एक भी कड़ी टूटने पर अवमानना की स्थिति बनती है, जैसा इस बार हुआ। दूसरी चुनौती सामाजिक है: दो समुदायों के दावों वाली जगह पर किसी भी कार्रवाई से तनाव न बढ़े, यह सुनिश्चित करना प्रशासन की ज़िम्मेदारी है। तीसरी, मूल प्रश्न, यानी इस स्थल पर पूजा और स्वामित्व का अधिकार, अभी अनिर्णीत है, इसलिए अंतरिम आदेश स्थायी समाधान नहीं है; अदालत ने भी कहा कि उसका आदेश भविष्य के हक़ नहीं बनाता।

परीक्षा के लिए मुख्य तथ्य

बिंदु	तथ्य
पीठ	न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली
मूल आदेश	20 नवंबर 2026 (दीपातून पर एक बार दीप)
अवमानना सुनवाई	27 नवंबर 2026; "जानबूझकर अवज्ञा" और "पूर्व-नियोजित साज़िश"
रिसीवर	एस. वैद्यनाथन (पूर्व मुख्य न्यायाधीश, मेघालय) और वी. पार्थिबन (पूर्व न्यायाधीश, मद्रास)
दीप पुनः जलाने की तिथि	28 नवंबर 2026; सुरक्षा केंद्रीय बलों की
अगली सुनवाई	15 दिसंबर 2026 (व्यक्तिगत उपस्थिति); मूल मामला जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह
अनुच्छेद 144	सभी प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन के लिए बाध्य
विवाद की जड़	1915 से शिखर के उपयोग और स्वामित्व पर असहमति

अभ्यास प्रश्न (प्रिलिम्स)

प्रश्न: न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 144 के अनुसार सभी नागरिक और प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। 2. सर्वोच्च न्यायालय अपनी अवमानना की कार्रवाई स्वयं शुरू कर सकता है। 3. अवमानना की शक्ति अनुच्छेद 32 में निहित है।

कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (a)

कथन 1 सही है: अनुच्छेद 144 के तहत सभी प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करने के लिए बाध्य हैं।

कथन 2 सही है: सर्वोच्च न्यायालय स्वयं की अवमानना में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकता है।

कथन 3 ग़लत है: सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना-शक्ति अनुच्छेद 129 में निहित है (उच्च न्यायालयों के लिए अनुच्छेद 215); अनुच्छेद 32 रिट क्षेत्राधिकार देता है।

मेंस प्रश्न (GS-II, 10 अंक)

"लोकतंत्र में न्यायिक आदेशों का पालन केवल प्रक्रिया नहीं, संवैधानिक दायित्व है।" तिरुप्परनकुंड्रम दीपम मामले में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया आदेश के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा:

भूमिका में:

27 नवंबर 2026 के आदेश का सार दें: 20 नवंबर के आदेश की अवहेलना पर अवमानना कार्रवाई, ट्रस्टी बोर्ड निलंबित, रिसीवर नियुक्त।

मुख्य भाग में:

अनुच्छेद 144 के दायित्व, अवमानना-शक्ति (अनुच्छेद 129) और कानून के शासन के संबंध को मामले के तथ्यों से जोड़ें; अंतरिम आदेश में अदालत द्वारा रखा गया संतुलन (दरगाह की पहुँच, 50 मीटर घेरा, कोई भविष्य के हक़ नहीं) भी दिखाएँ।

निष्कर्ष में:

निष्कर्ष दें कि आदेश का पालन संस्थाओं की विश्वसनीयता का आधार है, और मूल विवाद का निष्पक्ष निपटारा जनवरी की सुनवाई पर निर्भर है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: रिसीवर क्यों नियुक्त किए गए?
उत्तर: न्यायालय ने पाया कि मंदिर ट्रस्टी बोर्ड ने उसके आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए बोर्ड निलंबित कर अंतरिम प्रबंधन दो पूर्व न्यायाधीशों को सौंपा गया, जो स्तानिकर के परामर्श से समारोह कराएँगे।

प्रश्न 2: क्या इससे दरगाह पर रोक लगी है?
उत्तर: नहीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि दरगाह के आसपास 50 मीटर का दायरा घेरा जाएगा, परंतु श्रद्धालुओं की पहुँच और अधिकार प्रभावित नहीं होंगे।

स्रोत

- The Hindu: Supreme Court orders Karthigai Deepam to be lit at deepathoon on November 28; issues contempt notice (27 नवंबर 2026)
- The Hindu: Thirupparankundram row: Supreme Court finds wilful disobedience of Deepam order (28 नवंबर 2026)

यह लेख PCS Mantra की संपादकीय टीम ने उपर्युक्त स्रोतों के आधार पर अपने शब्दों में लिखा है। परीक्षा से पहले आधिकारिक अधिसूचनाएँ ज़रूर जाँच लें। कवर इमेज प्रतीकात्मक है। © pcsmantra.in